रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 432] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 1996/श्रावण, 3, 1918
No. 432] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 1996/SRAVANA 3, 1918

CENTRAL LABOUR INSTITUTE
No.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1996

का.आ. 537(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पारित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 12 नवम्बर, 1993 की अधिसूचना का.आ. संख्या 865 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के शीर्षक III के अन्तर्गत, क्रम संख्या 5 के सामने दर्शाई गई "कर्मचारियों के प्रतिनिधि" प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"5. श्री चन्द्रकान्त देसाई,
महासचिव,
मुंबई कामगार सभा,
डी-15, गणेश प्रसाद नौशीर,
भरुचा मार्ग, तारदेव,
मुंबई-400007 "

[फा. सं. एस-32023/2/92-डब्ल्यू सी. (एम.डब्ल्यू)]
डी.के. त्रेहन, श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 1996

S.O. 537(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7, read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 865 (E) dated the 12th November, 1993 namely :—

In the said Notification, under the heading III 'Employees Representatives', for entry at serial No. 5 the following entry shall be substituted namely :—

"5. Shri Chandrakant Desai,
General Secretary,
Mumbai Kamgar Sabha,
D-15, Ganesh Prasad Naushir,
Bharucha Marg, Tardeo,
Mumbai-400007."

[F. No. S-32023/2/92-WC (MW)]
D.K. TREHAN, Labour and Employment Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996